

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

पत्रांक 163 / 12-1

दिनांक जुलाई, 11, 2016।

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त,
पौड़ी।

विषय:-

प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/10177/2015 तेफना कण्डारा मोटर मार्ग में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-
महोदय,

अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग का पत्रांक 1983/10 एल0ए0 दिनांक 27-06-2016।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा आपत्तियों का विन्दुवार निराकरण किया गया जो निम्नानुसार है:-

विन्दु सं०	शर्तों का विवरण	अनुपालन आख्या
1.	Short narrative of the proposal is not descriptive.	पार्ट I के क्रम संख्या A-1(iii) में Short Narrative का विवरण भर दिया गया है।
2.	Total period for which forest land to be diverted is not mentioned.	पार्ट I के क्रम संख्या A-1(x) में Total period of forest land 99 Year mention कर दिया गया है।
3.	The Details for applicant and the one who is authorized to file the application do not match.	पार्ट I के क्रम संख्या A-3(xvii) में नया Authorized Certificate अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक 1- पेज 3)
4.	The proposal mentions that area to be diverted is 1.307 ha while in the FRA the area mentions is 0.987 ha need necessary corrections.	पार्ट I के क्रम संख्या K(a) में FRA संशोधित कर diverted area 1.307 Mention कर दिया गया है। (संलग्नक 2- पेज 4 से 9)
5.	The additional information provided in online Part-I is unable to open.	पार्ट I के Additional Information में अलग-अलग फाइल बनाकर अपलोड कर दी गयी हैं।
6.	Instead of non encumbrance certificate for the forest land, site suitability certificate is attached in Part-I.	पार्ट I के क्रम संख्या L-(iv)(h) में encumbrance certificate for the forest land, site suitability certificate attached कर दिया गया है। (संलग्नक 4- पेज 10 से 13)
7.	Compensatory afforestation scheme is prepared for an area of 0.987 ha instead of double the area propose for diversion i.e. 2.614 ha.	Compensatory afforestation scheme को 2.614 है० का कर पार्ट II के क्रम संख्या 13 के (vii) में अपलोड कर दी गयी है। (संलग्नक 3- पेज 14 से 15 श्व 16,17)
8.	CA is proposed on two patches but in Part I only one patch is mentioned of 2 ha. Detail.	पार्ट I के क्रम संख्या L-(iv) में 2.614 है० के लिए Two patch mention कर दिये गये हैं।

सम्बन्धित प्रपत्रों को पार्ट II के एडिशनल इन्फोरमेसन में भी अपलोड किया जा रहा है। अतः अनुरोध है कि प्रकरण अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न:- प्रयोक्ता एजेन्सी के पत्र की छायाप्रति एवं प्रपत्र।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग

Phone/Fax :- 01363-244204

E-mail :- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक :- 2092/10(ल/प) 70
सेवा में ,

दिनांक :- 6 / 7 / 2016

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वनप्रभाग
गोपेश्वर, (चमोली)

विषय :- तेफना-कण्डारा मोटर मार्ग में RO द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 4794/12-1 दिनांक 13 जून, 2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में RO द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया गया जो निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	लगायी गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1	2	3
1	Short Narrative of the proposal is not descriptive.	पार्ट-1 के क्रम संख्या A-1 (iii) में Short Narrative का विवरण भर दिया गया है।
2	Total period for which forest land to be diverted is not mentioned.	पार्ट-1 के क्रम संख्या A-1 (x) में Total period of forest land 99 Year mention कर दिया गया है।
3	The Details of applicant and the one who is authorized to file the application do not match.	पार्ट-1 के क्रम संख्या A-3 (xvii) में नया Authorized Certificate अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक-1 पेज 2)
4	The proposal mentions that area to be diverted is 1.307 ha while in the FRA the area mentions is 0.987 ha need necessary correction.	पार्ट-1 के क्रम संख्या K (a) में FRA संशोधित कर diverted area 1.307 Mention कर दिया गया है। (संलग्नक-2 पेज 3 से 8)
5	The additional information provided in online Part-I is unable to open.	पार्ट-1 के Additional Information में अलग-अलग फाइल बनाकर अपलोड कर दी गयी है।
6	Instead of non encumbrance certificate for the forest land, site suitability certificate is attached in Part-I.	पार्ट-1 के क्रम संख्या L-(iv)(h) में encumbrance certificate for the forest land, site suitability certificate attached कर दिया गया है। (संलग्नक-4 पेज 11 से 14)
7	Compensatory afforestation scheme is prepared for an area of 0.987 ha instead of double the area propose for diversion i.e. 2.614 ha.	Compensatory afforestation scheme से सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों को संशोधित कर double area 2.614 ha कर दिया गया है। (संलग्नक-3 पेज 9 से 10)
8	CA is proposed on two patches but in Part-I only one patch is mentioned of 2 ha. Detail.	पार्ट-1 के क्रम संख्या L-(iv) में 2.614 ha के लिए two patch mention कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न :- प्रपत्र।

(जे.पी.रतूड़ी)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग



कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
सातवाँ वृत्त, लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर



Ph.No./Fax No - 01372-252173


e-mail - sepwdgope@rediffmail.com

पत्रांक : 4704/24110 - 07/2015,

दिनांक: 20-10-2015

Authority Certificate

Mr. Jagdamba Prasad Raturi, Executive Engineer, Provincial Division, PWD Karanprayag is hereby authorized to upload the Land Transfer Proposal regarding Roads of the Provincial Division, PWD, Karanprayag on the Government of India portal www.forestclearance.nic.in on behalf of the Superintending Engineer, 7th Circle, PWD, Gopeshwar (Chamoli).


20/10/15
Superintending Engineer
7th Circle, PWD,
Gopeshwar (Chamoli)

FORM-I
(for Linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No. /

Dated : / /2014


TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that **1.307** Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Public Works Department Uttarakhand for **Construction of Tefna kandara Sonla kandara via chatingyala-koti-nauli-hindoli motor road in district chamoli** falls within jurisdiction of Kandara Village in Karanprayag Tehsil.

It is further certified that :-

- (a) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the **1.307** Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it.
- (c) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above



Sanjay Kumar
District Magistrate
Chamoli (Uttarakhand)

**Office of the District Collector,
District-Chamoli (Uttarakhand)**

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act)FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhand), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri Sanjay Kumar, District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on 14.01.2015 At 14.01.2015 at Chamoli in which the application claiming rights in village Thapli of Tehsil-Karanprayag, area Measuring 1.307 Hectares for the **Construction of Tefna kandara ,Sonla kandara via chatingyala-koti-nauli-hindoli motor road** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Karanprayag Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.








Sanjay Kumar
District Magistrate -cum-
Chairman, District Level
Committee, Chamoli

प्रपत्र-23.2
परियोजना का नाम :- मा. मुख्यालय की योजना के अन्तर्गत जनजात
यमोली के विकास कार्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग
तेफना-कण्डार मोटर मार्ग के कि.मी. 3.00 से होते हुए सोनला
कण्डार मोटर मार्ग के कि.मी. 16.00 तक मोटर मार्ग का नव निर्माण
कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र
उपखण्डस्तरीय समिति

उपखण्ड कपीपारा परिक्षेत्र के अन्तर्गत तेफना-कण्डार के कि.मी. 3.00 से सोनला-कण्डार के
कि.मी. 16.00 तक (कुल) हे० आरक्षित वन भूमि, 0.870 हे० सिविल एवं सोयम वनभूमि ..
0.43 हे० वनपंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.30 हे० वनभूमि) का लो. ति. वि.
प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य
परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत
उपखण्डस्तरीय समिति, (तहसील कपीपारा) की दिनांक 13-07-15 को सम्पन्न
बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डस्तरीय वनअधिकार समिति की
बैठक श्री किराना सिंह द्वारा उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्डस्तरीय वनअधिकार
समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति
निम्नानुसार है।

- 1- श्री किराना सिंह द्वारा उपजिलाधिकारी  अध्यक्ष
 - 2- श्री शिवानन्द सुगत उपप्रभागीय वनाधिकारी  सदस्य
यमोली उप वन प्रभाग
शोपेयवर (यमोली)
 - 3- श्री मोहन सिंह भण्डारी सहायक समाजकल्याण अधिकारी  सदस्य
 - 4- श्री मा. दे. पा. दा. सि. ए. न. व. वनाधिकार समिति सदस्य 
- श्रीमती सुशोभा रावत वनाधिकार समिति सदस्य 
- श्री मालकत पुणेहित वनाधिकार समिति सदस्य 

तेफना नख्का मो अपी के जिमी डो जेपला उख्खि जिमी 16 तन को आरु परियोजना हेतु 1307

हे0, वनभूमि लो नि वि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्रामसभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई नामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, चमोली द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान का स्पष्ट करत हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वनअधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्रामसभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्डस्तरीय वनअधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कृषिप्रकार परिक्षेत्र के अन्तर्गत तेफना नख्का मो अपी के जिमी डो जेपला + 572 + जिमी 1607 परियोजना के निर्माण हेतु 1307 हे0 वनभूमि लो नि वि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी/अक्षयक्ष
उपखण्डस्तरीय वनअधिकारसमिति

तहसील- कृषिप्रकार
जनपद- चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी/अक्षयक्ष
उपखण्डस्तरीय वनअधिकारसमिति
तहसील- कृषिप्रकार
जनपद- चमोली

परियोजना का नाम :- मात्रा 11 मुद्रा में जमीन होपण के अंतर्गत जनपद चमोली के विमान संस्था कर्जा प्रयोग में शहीद गंगोत्री सिटि मार्ग, देहरादून 24821 मोटर मार्ग के सिटी होने चट्टियाल, कोठी, गौली हिचोली होते हुए सैतल मोटर मार्ग के सिटी 16 तब मोटर मार्ग नव निर्माण

वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कण्डारा
तहसील कण्डारा जिला चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली अन्तर्गत देहरादून के सिटी 30 से सैतल 24821 के सिटी 16 तब मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु शून्य हे० आरक्षित वनभूमि 0.550 हे० सिविल सोयमभूमि 0.432 हे० वनपंचायत भूमि अर्थात् कुल 0.982 हे० वनभूमि का बो. नि. वि. विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कण्डारा द्वारा दिनांक.....को सम्पन्न ग्रामसभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इससे अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कण्डारा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि बो. नि. वि. प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्रामसचिव

एम. एम. कगवाल
ग्राम पंच. वि. अ.



नोट :-* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि आवेदित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जांच कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांकको ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायतकाण्डा.....

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री बलवीर सिंह रावत	Balwinder
2-	श्री जयसिंह रावत	Jay Singh
3-	श्री चन्प्रसिंह रावत	Chandrasingh
4-	श्री मनोज सिंह रावत	Manoj
5-	श्री मोहन सिंह रावत	Mohan
6-	श्री पुरुष सिंह रावत	Purush
7-	श्री उमेश सिंह रावत	Umesh
8-	श्री गिरीश चन्द्र पन्त	Girish Pant
9-	श्री पेम पन्त	Pem Pant
10-	श्री जगदीश प्रसाद पन्त	Jagdish Pant
11-	श्री धनश्याम पन्त	Dhanashyam Pant
12-	श्री ललीता प्रसाद पन्त	Lalita Pant
13-	श्री केशव चन्द्र	Keshav
14-	श्री मनोज पन्त	Manoj Pant
15-	ह्यात सिंह	Hyat Singh
16-	मंजू देवी	Manju Devi
17-	कुंवर सिंह रावत	Kunwar Singh
18-	रघुनाथ सिंह	Raghunath Singh


ह0/-
ग्रामप्रधान




क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

परियोजना का नाम:-मा.मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयागमें शहीदभगत सिंह मार्ग(तेफना-कण्डारा मोटर मार्ग) के किमी० 3.00 से चटिंग्याला-कोटी,नौली-हिण्डोली होते हुये सोनला-कण्डारा मोटरमार्ग के किमी० 16.00 तक मोटरमार्ग का नवनिर्माण।

उपरोक्त योजना हेतु वनविभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि का चयन कर लिया गया है तथा मार्ग निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण एव वनमंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति मिलने पर हस्तान्तरण की कार्यवाही कर ली जायेगी। खसरा नम्बर 1458 एवं 1456/1549 क्षतिपूरक स्थल हेतु दिया जाता है।


अधिसासीअभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग



जिलाधिकारी
चमोली


परियोजना का नाम:-मा.मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग में शहीद भगत सिंह मार्ग(तेफना-कण्डारा मोटर मार्ग) के किमी० 3.00 से चटिंग्याला-कोटी,नौली-हिण्डोली होते हुये सोनला-कण्डारा मोटर मार्ग के किमी० 16.00 तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण ।


क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि का विवरण


NZA श्रेणी 3-ड अन्य कृषि योग्य बंजरभूमि

क०सं०	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	वृक्षारोपण हेतु लिया गया क्षेत्रफल(हे० में)
1	सुनाली	1458	1.600 हे०
		1456 / 1549	1.014 हे०
	सम्पूर्ण योग:-		2.614 हे०



अमीन
लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग


कमिष्ठअभियन्ता
प्रा० ख० लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग



सहायकअभियन्ता
प्रा० ख० लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग


अधिशोसीअभियन्ता
प्रा० ख० लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग


रु०का०
हिण्डोली


16.6.16


जिला अधिकारी
चमोली


उप जिलाधिकारी
कर्णप्रयाग
17.6.16

(210)

परियोजना का नाम:- मा. मुख्य मंत्री की घोषणा के अर्न्तगत जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग में शहीद भगत सिंह मार्ग (तेफना-कण्डारा मोटर मार्ग) के कि.मी. 3 से चटिग्याला-कोटी-नौली-हिण्डोली होते हुए सोनला-कण्डारा मोटर मार्ग के कि.मी. 16 तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो.नि.वि. को हस्तान्तरण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु

सिविल में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ली गयी है। वह क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।



ह0 / -

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वरा

सु. नं. ३



अतिरिक्त वृक्षारोपण हेतु स्वच्छ-चयन


(२१)


ग्राम- सुनाली परवरी क्षेत्र, मंगरोली, तहसील- कांझगा
जिल्हा- यमोली


पैमाना ३२" = १ मील

प्रस्तावित स्वच्छ




श्री. अनंद
मंगरोली


तहसीलदार
कांझगा
यमोली


जिल्हाधिकारी
कांझगा
यमोली


Map by...

"Traced" by Saladev Sankar Namdev.

ग्राम - खुमाली
 पट्टी - वसोलीरणी
 तहसील - कर्णप्रयाग
 जिल्हा - चिमन जिल्हा

पैमाना ३२" = १ मी.ल
 १९५७

ह.स. २५५ + १५०५



[Signature]
 रा.उ.पाने
 मंगरोली

[Signature]
 न.स.क.प.क.
 प.स.प.प.स.
 कर्णप्रयाग(चिमली)


[Signature]
 उ.प.प.प.प.प.
 चिमली

अनुसूचित जाति क्षेत्र
ग्राम चयन

ग्राम - सुनाली
पट्टी - लकी पट्टी
तहसील - कर्णप्रयाग
जिला - चमोली

क्षेत्रफल = 32" = 9 बीघा

प्रस्तावित स्थान



[Signature]
राजेश्वर
मेरोली

[Signature]
उप जिलाधिकारी
कर्णप्रयाग (चमोली)

राजेश्वर
मेरोली

10 वर्षीय क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

1- परियोजना का नाम:- तेफना कण्डारा मोटर मार्ग किमी 0 3 से चटिंग्याला कोटी नौली हिण्डोली होते हुए सोनला कण्डारा मोटर मार्ग के किमी 0 16 तक मोटर मार्ग की आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

2- क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल नाम:- सुनाली सिविल


3- क्षेत्रफल:- 2.614

4- रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या:- 5228

5- रोपित किये जाने वाली प्रजातियां:- बांज आदि।

क्र०सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
(1)	प्रथम वर्ष अग्रिम मृदा कार्य:-				
1	सर्वे एवं सीमांकन		2.614	115.00	300.61
2	स्थल का सफाई कार्य		2.614	3730.00	9750.22
3	दीवालबन्दी कार्य/फैन्सिंग (150 मी०प्र०है०=81घ०मी०)		2.614	38637.00	100997.12
4	गढढा खुदान कार्य(0.30X0.30X0.45) रेंखाकन चूना सहित		5228	7.95	41562.60
5	डी०ए०पी० खाद की लागत 25 ग्राम प्रति गढढा		130 kg	28.00	3640.00
6	पौध की कीमत (प्रथम वर्ष)		5228	6.20	32413.60
7	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य		2.614	9150.00	23918.10
	1- वानस्पतिक चैकडैम:-	8X4739=37910			
	2- स्टोन चैकडैम:- (10 है० आधार)	5X5310=26550	2.614	9150	23918.10
	योग:-	64460.00			
8	निरीक्षण बटिया बनाना:-		2.614	915.00	2391.81
	योग प्रथम चरण:-				238892.16
(2)	द्वितीय वर्ष रोपण कार्य:-				
1	झाड़ी कटान (लैण्टाना गाजर घास/काला बांस)		2.614	1887.00	4932.618
2	गढढा भरान कार्य डी०ए०पी० मिलाने सहित		5228	1.42	7423.76
3	पौध दुलान कार्य		5228	9.00	47052.00
4	पौध रोपण कार्य		5228	2.77	14481.56
5	पौधों की प्रथम निराई गुडाई मलचिंग कार्य	प्रति	5228	1.89	9880.92
6	पौधों की द्वितीय निराई गुडाई मलचिंग कार्य	प्रति	5228	1.63	8521.64
7	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष	प्रति	8228	1.8	14810.40
8	वाचर (चौकीदार प्रथम वर्ष /रोपण वर्ष)	7 माह	2.614	685	12534.13
9	साईन बोर्ड आदि क्रय		L.S.	L.S.	5000.00
	योग द्वितीय चरण:-				124637.03
(3)	तृतीय वर्ष 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (वीटिंग अप) प्रति है०:-				
1	पौधों की लागत		523	8.00	4184.00
2	पौध दुलान कार्य		523	9.00	4707.00
3	पुनः गढढा खोदना एवं रोपण कार्य		523	4.40	2301.20
4	गढढों में गोबर खाद डालना लागत सहित		523	1.95	1019.85
5	पौधों की शीतकालीन मलचिंग		523	1.63	852.49
6	वनीकरण चौकीदार (12 माह) 1 वर्ष		2.614X12	685.00	21487.08
7	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य		L.S.	L.S.	5000.00
	योग तृतीय चरण:-				39551.62

	चतुर्थ चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	2.614X12	685.00	21487.08	
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य	L.S.	L.S.	5000.00	
	योग चतुर्थ चरण:-				26487.08
	पंचम चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	2.614X12	685.00	21487.08	
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य	L.S.	L.S.	5000.00	
	योग पंचम चरण:-				26487.08
	षष्ठम चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	2.614X12	685.00	21487.08	
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य	L.S.	L.S.	5000.00	
	योग षष्ठम चरण:-				26487.08
	सप्तम चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	2.614X12	685.00	21487.08	
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य	L.S.	L.S.	5000.00	
	योग सप्तम चरण:-				26487.08
	अष्टम चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	2.614X12	685.00	21487.08	
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य	L.S.	L.S.	5000.00	
	योग अष्टम चरण:-				26487.08
	नवम चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	2.614X12	685.00	21487.08	
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य	L.S.	L.S.	5000.00	
	योग नवम चरण:-				26487.08
	दसम चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	2.614X12	685.00	21487.08	
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य	L.S.	L.S.	5000.00	
	योग दसम चरण:-				26487.08
	कुल योग:-				588490.37


प्रभागीय वनाधिकारी
 जौनांव वन प्रभाग, गोपेश्वरा